जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.04.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत अजांव खास से इवेन्ट संख्या 43538 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में दो बाईक के आपस में टकरा जाने के कारण 04 व्यक्तियों (1-रामभभूति पुत्र रामनयन 2-विपिन पुत्र राजू ग्रा0 परसाखूर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 3-सूरज पुत्र फागू ग्रा० लालगंज थाना लालगंज जनपद बस्ती 4-संतोष पुत्र रामसमूझ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुये व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 अखिलेश सिंह, आ0 देवेन्द्र कुमार, आ0चा0 राजीव सोनकर ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.04.2024

थाना बेलहर कला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहर कला पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0101/2024 धारा 323, 376, 504, 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त आलोक उर्फ विश्वजीत पुत्र रामअनुज राय निवासी नगर पंचायत बेलहर कला टोला कोठवा वार्ड न07 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 23.04.2024 को मंझरिया पठान प्राथमिक पाठशाला के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी व धमकी दी गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहर कला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 23.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक सुश्री सरोज शर्मा, व0उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव, हे0का0 शम्स तबरेज सिद्दकी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.04.2024

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 103/24 धारा 363,366,506 भा0द0वि0 के मामले में वांछित बाल अपचारी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को मुहिया पूल बड़ाया ठाठर के पास से गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 18.04.2024 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 23.04.2024 को उक्त बाल अपचारी को मुहिया पूल बड़ाया ठाठर के पास से गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, का0 सोनू कुमार।